न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –74 / 2022 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2022 / 333

1. ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द गुर्जर निवासी रावली तह0 रामगंजमण्डी
2. राधेश्याम आत्मज लालचन्द गुर्जर निवासी रावली तह0 रामगंजमण्डी
3. लालचन्द आत्मज घांसी गुर्जर निवासी रावली तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अपीलांट

बनाम

चतुर्भुज आत्मज किशनलाल जाति मीना निवासी खैरावाद तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 25.11.2019 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा बउनवान चतुर्भुज बनाम ओमप्रकाश वगै0 प्रकरण संख्या 11 / 2018

उपस्थितः–

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 06.05.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट चतुर्भुज पुत्र किशनलाल मीना के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 11 / 2018 में दिनांक 25.11.2019 को निर्णय पारित किया कि–"प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार व अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है । उनके खाते की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का कब्जा विधि सम्मत नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । अप्रार्थीगण को विवादित खसरा नम्बर 44 / 406 की 0.02 हे0 दक्षिण की ओर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है । पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो ।"
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 01.09.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है, जबकि पटवारी हल्का को पक्षकारान की उपस्थिति में अपीलांट्स को सूचित करने के बाद उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी इस प्रकार दूषित रिपोर्ट के आधार पर बेदखल करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री जितेद्र नामा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है जबकि पटवारी हल्का को पक्षकारान की उपस्थिति में अपीलांट्स को सूचित करने के बाद उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी, इस प्रकार दूषित रिपोर्ट के आधार पर बेदखल करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है । अपीलांट्स द्वारा विगत 40 वर्षो से अपनी कब्जे काश्त की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और पत्थर की

जिला कलेक्टर
कोटा

कोट की हुई है किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि के पास ही खाता संख्या 46 में खातेदार घांसी आत्मज सेवा जाति गुर्जर हिस्सा 1/3 एवं भगतराम आत्मज मन्ना जाति गुर्जर हिस्सा 2/3 निवासी रावली के खाते की आराजी है जिसको वह निरन्तर काश्त करते आ रहे है, तथा वर्तमान में अपीलांटगण कब्जा काश्त करते आ रहे है । अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है अपितु स्वयं की भूमि पर ही काबिज है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी अपीलांटगण द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष अन्तर्गत धारा 183–बी का आवेदन पेश करने पर मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रेस्पो0 की भूमि पर अप्रार्थीगण अपीलांट का नाजायज कब्जा होने से अपीलाधीन आदेश से बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो उचित है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा 183–बी के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया है जो उचित है । अपील विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।
6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 25.11.2019 के विरूद्व दिनांक 01.09.2022 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है, मियाद के शमन हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर विलम्ब का कारण उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को नहीं होना बताया तथा आदेश की पालना में दिनांक 2.8.2022 को कब्जा हटाने आने पर उक्त निर्णय की जानकारी होना बताया है । विलम्ब से अपील पेश करने के बताये गये कारण की उक्त निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं होने का कारण उचित नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण अपीलांट की उपस्थिति बताई गई है । किन्तु वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है एवं ना ही विलम्ब से अपील पेश करने से आपत्ति प्रस्तुत की है । ऐसी स्थिति में इस अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है ।
7. प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के पास ही अपीलांटगण की आराजी है, उसी पर कब्जा काश्त होना बताया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि पटवारी हल्का देवली खुर्द की रिपोर्ट दिनांक 4.4.2019 अनुसार ग्राम बिशन्याखेडी के ख0नं0 44/206 की रकबा 0.16 हे0 भूमि चतुर्भुज आत्मज किशनलाल जाति मीणा के खाते दर्ज है मौके पर 0.14 हे0 पर मूल खातेदार चतुर्भुज आत्मज किशनलाल काबिज है, खसरा नं0 44/406 का दक्षिणी कोना 0.02 हे0 भूमि के पास घासी आत्मज सेवा 1/3, भगतराम आत्मज मन्ना 2/3 जाति गुर्जर के नाम ख0नं0 57 की 2.49 हे0 भूमि स्थित है जिस पर खातेदार व उनके वारिसान वर्षो से काबिज काश्त कर रहे है ओर 44/406 की 0.02 हे0 प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण की भूमि को अपने खेत ख0नं0 57 की 2.49 हे0 के अन्दर मिला रखा है । इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी भूमि 0.02 हे0 पर कब्जा होने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपीलाधीन निर्णय से बेदखली के आदेश पारित किये है, जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 7.4.2022 को मौके पर पहुंचकर सीमाज्ञान किया जाकर 0.02 हे0 पर अपीलांटगण ओमप्रकाश, राधेश्याम वगै0 को बेदखल किया जाकर कब्जा रेस्पोडेन्ट चतुर्भुज मीणा को दिलाया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.11.2019 यथावत रखा जाता है ।
9. निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा